



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238868
CG-DL-E-16092022-238868

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4142]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2022/भाद्र 23, 1944

No. 4142]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2022/BHADRA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2022

का. आ. 4323(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH161A के कि.मी. 382 से कि.मी. 387.65 (एँस्डीओ आफिस नांदेड, न्यू एडमिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, चिखलवाड़ी रोड, अपोजिट ओफ यात्री निवास, नांदेड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविजनल आफिसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH161A के कि.मी. 382 से कि.मी. 387.65 (एँस्डीओ आफिस नांदेड, न्यू एडमिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, चिखलवाडी रोड, अपोजिट ओफ यात्री निवास, नांदेड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नांदेड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नांदेड					
गांव का नाम: पुणेगाव					
1	2	निजी	कृषक	0.0493000(हेक्टेयर)	0.0493000
2	237	निजी	कृषक	0.3966000(हेक्टेयर)	0.3966000
3	239	निजी	कृषक	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
4	240	निजी	कृषक	0.0865000(हेक्टेयर)	0.0865000
5	241	निजी	कृषक	0.2198000(हेक्टेयर)	0.2198000
6	242	निजी	कृषक	0.1442000(हेक्टेयर)	0.1442000
7	243	निजी	कृषक	0.0226000(हेक्टेयर)	0.0226000
8	249	निजी	कृषक	0.0927000(हेक्टेयर)	0.0927000
9	250	निजी	कृषक	0.0024000(हेक्टेयर)	0.0024000
10	292	निजी	कृषक	0.0023000(हेक्टेयर)	0.0023000
11	293	निजी	कृषक	0.3602000(हेक्टेयर)	0.3602000
12	294	निजी	कृषक	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
13	295	निजी	कृषक	0.0927000(हेक्टेयर)	0.0927000
14	296	निजी	कृषक	0.3189000(हेक्टेयर)	0.3189000
15	297	निजी	कृषक	0.4242000(हेक्टेयर)	0.4242000
16	3	निजी	कृषक	0.1027000(हेक्टेयर)	0.1027000
17	4	निजी	कृषक	0.1389000(हेक्टेयर)	0.1389000
18	5	निजी	कृषक	0.3675000(हेक्टेयर)	0.3675000
कुल				2.8615	2.8615

[फा. सं. NH-12014/54/2021-22-MAH(Z-4)/3A1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2022

S. O. 4323(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH161A in the stretch of land from Km. 382 to Km. 387.65 (SDO office Nanded, New Administrative Building, Chikhawadi Road, Opposite of Yatri Niwas, Nanded) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH161A in the stretch of land from Km. 382 to Km. 387.65 (SDO office Nanded, New Administrative Building, Chikhawadi Road, Opposite of Yatri Niwas, Nanded) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: NANDED		
S. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nanded					
Village: Punegaon					
1	2	Private	Agriculture	0.0493000(Hectare)	0.0493000
2	237	Private	Agriculture	0.3966000(Hectare)	0.3966000
3	239	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
4	240	Private	Agriculture	0.0865000(Hectare)	0.0865000
5	241	Private	Agriculture	0.2198000(Hectare)	0.2198000
6	242	Private	Agriculture	0.1442000(Hectare)	0.1442000
7	243	Private	Agriculture	0.0226000(Hectare)	0.0226000
8	249	Private	Agriculture	0.0927000(Hectare)	0.0927000
9	250	Private	Agriculture	0.0024000(Hectare)	0.0024000
10	292	Private	Agriculture	0.0023000(Hectare)	0.0023000

11	293	Private	Agriculture	0.3602000(Hectare)	0.3602000
12	294	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
13	295	Private	Agriculture	0.0927000(Hectare)	0.0927000
14	296	Private	Agriculture	0.3189000(Hectare)	0.3189000
15	297	Private	Agriculture	0.4242000(Hectare)	0.4242000
16	3	Private	Agriculture	0.1027000(Hectare)	0.1027000
17	4	Private	Agriculture	0.1389000(Hectare)	0.1389000
18	5	Private	Agriculture	0.3675000(Hectare)	0.3675000
Total				2.8615	2.8615

[F. No. NH-12014/54/2021-22-MAH(Z-4)/3A1]

RAJESH GUPTA, Director